न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर मध्य-प्रदेश

राजस्व निगरानी प्र.क्र. सन 015

निग /3315/II/15

लक्ष्मी प्रसाद पाठक तनय स्व.श्री देवीदीन पाठक

निवासी/ग्राम- परसनिया तहसील चंदला जिला छतरपुर म0प्र0 -- वादी/निग. कर्ता

बनाम

1. श्यामसुंदर नामदेव तनय स्व.श्री परमानंद नामदेव,
   नि0/ग्राम- परसनिया, तहसील चंदला, जिला छतरपुर

2. मध्य-प्रदेश शासन -- प्रतिप्रार्थीगण -

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान राजस्व निरीक्षक मंडल लवकुशनगर, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर म0प्र0 जो राजस्वप्रकरण क्र. 75/अ-12/2013-14 मे दि. 3.5.15 को पारित किया गया ।

कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर म0प्र0
प्रस्तुतकर्ता का नाम राम शरण आरोर 4136,
1750 रु्पये
शाखा का नाम रिकॉर्ड (रीडर कमिश्नर)
दिनांक 13/10/15
अधीक्षक

1165

19/10/15

श्रीमानजी,

प्रार्थी/ निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1. यहकि ग्राम केशरीपुरा तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर (म0प्र0) की भूमि खसरा नं. 411/1 (चार सौ ग्यारह बटा एक) रकबा 0.781 (जीरो दशमलव सात सौ इक्यासी) है.प्रार्थी /निगरानीकर्ता लक्ष्मी प्रसाद तनय देवीदीन पाठक के स्वत्व एंव आधिपत्य की भूमि है और भूमि खसरा नम्बर 411/2 (चार सौ ग्यारह बटा दो) रकबा 0.809 है0 (जीरो दशमलव आठ सौ नौ) है. स्थित ग्राम केशरीपुरा तहसील लवकुशनगर पर प्रतिप्रार्थी श्यामसुंदर नामदेव ने अवैध रूप से अपना नाम तहसीलदार लवकुशनगर के रा.प्र.क्र. 104/अ-6अ/ 011-012 के आदेश दिनांक 31.8.012 के आधार पर नाम भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज करा लिया गया और

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—3415—दो / 2015 जिला—छतरपुर

लक्ष्मी प्रसाद पाठक विरूद्ध श्यामसुन्दर व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22—08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल लवकुशनगर, तहसील लवकुशनगर जिला—छतरपुर के प्र.क्र. 75 / अ—12 / 2013—14 में पारित आदेश दिनांक 03—05—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 10—10—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	